प्रेस नोट

सराहनीय कार्य कानपुर देहात
दिनांक- 22.02.2024

- **दहेज हत्या व महिला की गुमशुदगी के सम्बन्ध में पंजीकृत 02 वर्ष से अधिक पुराने अभियोग का कानपुर देहात पुलिस द्वारा किया गया सफल अनावरण।**
- **लगभग 02 वर्ष पूर्व लापता हुई महिला को थाना डेरापुर पुलिस द्वारा सकुशल बरामद किया गया।**

कृपया अवगत कराना है कि अपर पुलिस महानिदेशक, कानपुर जोन, कानपुर श्री आलोक सिंह व पुलिस उप महानिरीक्षक, कानपुर परिक्षेत्र कानपुर श्री जोगेन्द्र कुमार सिंह के कुशल मार्गदर्शन में पुलिस अधीक्षक कानपुर देहात श्री बीबीजीटीएस मूर्ति के निर्देशन में जनपद कानपुर देहात में अपराध नियन्त्रण की दिशा में घटनाओं की रोकथाम व खुलासे हेतु चलाये जा रहे विशेष अभियान के क्रम वादी अमित पाल पुत्र श्री छोटे पाल निवासी ग्राम बिजहरा थाना डेरापुर कानपुर देहात द्वारा दिनांक 30.07.2021 को थाना डेरापुर पर बहन नीलम पाल के ससुरालीजनों के विरूद्ध अतिरिक्त दहेज की मांग करने, शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित करने व बहन को षडयन्त्र के तहत दिनांक 13.06.2021 को विदा कराकर ले जाने तथा रास्ते में कहीं उसकी हत्या कर लाश गायब कर देने आदि के सम्बन्ध में लिखित तहरीर दी गयी थी, जिसके सम्बन्ध में थाना डेरापुर पर मु0अ0सं0 173/2021 धारा 498ए/304बी/323/504/506/201भादवि0 व ¾ डीपी एक्ट पंजीकृत किया गया था। जिसमें विवेचना के दौरान धारा 304बी भादवि का लोप करते हुये धारा 364 भादवि की बढोत्तरी की गयी थी। इसी प्रकरण में नीलम पाल के पति राजू पाल पुत्र स्व0 श्रीराम निवासी ककोर, थाना दिबियापुर, जिला औरैया की सूचना पर दिनांक 13.06.2021 को थाना रूरा कानपुर देहात में अपनी पत्नी नीलम पाल को विदा कराकर बाइक से लौटते समय पत्नी द्वारा परहुल देवी मन्दिर रूरा में दर्शन के लिये चलने के लिये कहने, नहरपुल रूरा की दुकान से प्रसाद लेने, मन्दिर में प्रसाद चढ़ाने के बाद पत्नी द्वारा मोबाइल फोन प्रसाद वाली दुकान पर भूल जाने जिस पर प्रार्थी द्वारा दुकान जाकर लौटने पर पत्नी के न मिलने के सम्बन्ध में पत्नी नीलम पाल के मौसेरे भाई जयनरायन पुत्र रामनाथ उर्फ रामसिहं निवासी ग्राम टिढ़वा थाना रूरा जिला कानपुर देहात के विरूद्ध उसकी पत्नी व बेटी उम्र 04 वर्ष को ले जाने के सम्बन्ध में एनसीआर न0-0096/2021 धारा 498 भादवि0 पंजीकृत करायी गयी थी। तकनीकी साक्ष्यों, सर्विलांस सेल की मदद, मुखबिर की सूचना व गोपनीय सूचना के आधार पर पीड़िता/अपहृता नीलम पाल उपरोक्त को कल दिनांक 21.02.2024 को कानपुर नगर से सकुशल बरामद किया गया। पीड़िता द्वारा सुरेश बाबू उर्फ गुड्डू पुत्र स्व0 सुबेदार निवासी नोनारी थाना डेरापुर, कानपुर देहात से जान पहचान व दोस्ती होने तथा उसी के साथ जाने व उसी के साथ अपनी बेटी के साथ श्री देवेन्द्र दीक्षित के मकान जरौली प्रथम कानपुर नगर में किराये पर रहने की बात बतायी गयी है।

इस प्रकार पीडिता के भाई अमित पाल उपरोक्त द्वारा अपनी बहन के पति, देवर व चचिया ससुर के विरूद्ध पंजीकृत कराये गये मु0अ0सं0 173/2021 धारा 498ए/304बी/323/504/506/201भादवि0 व ¾ डीपी एक्ट तथा पीड़िता के पति राजूपाल द्वारा पंजीकृत करायी गयी एनसीआर न0-0096/2021 धारा 498 भादवि0 के आरोप सही नहीं पाये गये।

बरामदशुदा महिला नीलम पाल उपरोक्त का चिकित्सा परीक्षण कराते हुये धारा 164 सीआरपीसी के अन्तर्गत बयान दर्ज कराये जाने हेतु माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

<u>बरामदशुदा महिला का विवरण-</u>

1. नीलम पाल पुत्री छोटे पाल पत्नी राजू पाल निवासिनी ग्राम बिजहरा थाना डेरापुर कानपुर देहात, उम्र लगभग 34 वर्ष (जन्मतिथि 02.02.1990)

<u>बरामद करने वाली पुलिस टीम-</u>

1. प्र0नि0 अनिल कुमार, थाना डेरापुर,
2. उ0नि0 शोभित कटियार, चौकी प्रभारी दस्तमपुर, थाना डेरापुर,
3. उ0नि0 भारत सिंह, प्रभारी सर्विलांश सेल, कानपुर देहात
4. हे0का0 63 अवधेष कुमार, चौकी दस्तमपुर,
5. हे0का0 660 अजीत कुमार, सर्वेलांस सेल।